

फा. स. न्यूपा/प्रशासन/आर ओ/परिपत्र/030/2017-18
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016

फरवरी 17, 2023

अधिसूचना

दिनांक 7 फरवरी, 2023 को आयोजित संकाय बैठक में लिए गए निर्णयों के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित संरचना के साथ नीपा में परामर्श एवं संसाधन सूजन समिति (सी एवं आरजी) का गठन किया है:

1.	प्रोफेसर. प्रणति पांडा, अध्यक्ष, एसएसई (शाला सिद्धि)	अध्यक्ष
2.	डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा, सह-प्रोफेसर, शैक्षिक प्रशासन विभाग	सदस्य
3.	श्री ए. एन. रेणु सहायक प्रोफेसर विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	श्री निशांत सिन्हा वित्त अधिकारी	सदस्य
5.	प्रोफेसर. रम्मिता दास स्वाईं, प्रोफेसर, एसएसई (शाला सिद्धि)	सदस्य-संयोजक

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:

- समिति संस्थान में किसी भी परामर्श कार्यकलाप के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- समिति परामर्श के लिए सभी दस्तावेजों की संरक्षक भी होगी।
- समिति में संस्थान की परामर्श और संसाधन सामान्य नीति (दस्तावेज़ का लिंक: http://www.niepa.ac.in/niepa_naac/download/Criterion%203/3.5.1.pdf) में दिए गए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेगी।
- समिति नीपा में परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देगी।
- संस्थान में अपेक्षित भारत सरकार/शिक्षा मंत्रालय की प्रक्रियाओं के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप/दिशानिर्देशों के संबंध में अपडेट।


(डॉ. संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

सेवा में,

सभी संबंधित

प्रतिलिपि प्रेषित:

- कुलपति के निजी सचिव - माननीय कुलपति को सूचनार्थ
- विभागों/एकाकों/केंद्रों/अनुभागों के प्रभारी/अध्यक्ष
- प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
- वित्त अधिकारी
- कुलसचिव के निजी सहायक
- सिस्टम एनालिस्ट - वेबसाइट नीपा पर 'परिपत्र' के अंतर्गत अपलोड करने के लिए
- कार्यालय आदेश फाइल